



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग

हरिद्वार-249404

संख्या :: 59/16/E-03/DR(RO/ARO)/2023-24

दिनांक :: 25 जुलाई, 2024

निस्तारण आदेश

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कि उत्तराखण्ड सचिवालय/उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग/राजस्व परिषद कार्यालय में समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा-2023 हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या: A-1/E-3/DR(RO/ARO)/2023 दिनांक 08 सितम्बर 2023 के सापेक्ष मुख्य परीक्षा हेतु सफल अभ्यर्थियों में से विभिन्न अभ्यर्थियों द्वारा डाक/ई-मेल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन की प्रविष्टियों में संशोधन/परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन आयोग कार्यालय में प्रस्तुत किये गये थे, उक्त प्रत्यावेदनों पर मा0 आयोग द्वारा विचार किया गया । सम्यक् विचारोपरान्त मा0 आयोग द्वारा उक्त प्रत्यावेदनों को निम्नवत् निस्तारित किया गया है-

क्रम संख्या	अभ्यर्थी का नाम (श्री/श्रीमती/कु0) (अनुक्रमांक)	निस्तारण आदेश
1	विपिन बाजपेयी अनुक्रमांक- 151863	अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन में किये गये अनुरोध के संबंध में समीक्षा अधिकारी/सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा-2023 हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या: A-1/E-3/DR(RO/ARO)/2023 दिनांक 08 सितम्बर 2023 के बिन्दु सं0-06 में स्पष्ट उल्लिखित है कि-
2	हिमांशु रौथाण अनुक्रमांक 136274	ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों द्वारा की गयी प्रविष्टियों में संशोधन/परिवर्तन (Edit/Correction) किये जाने हेतु केवल एक बार पुनः लिंक खोला जायेगा। अभ्यर्थीगण आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियों को अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें, ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों के अंतर्गत अभ्यर्थियों के नाम/जन्म तिथि/श्रेणी/उपश्रेणी/लिंग आदि में संशोधन हेतु अंतिम तिथि के उपरांत मात्र एक बार अवसर प्रदान किया जायेगा। विज्ञापन के बिन्दु संख्या-12 (संशोधन/परिवर्तन प्रक्रिया) में उल्लिखित प्राविधानानुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र में

	<p>अभ्यर्थियों द्वारा संशोधन/परिवर्तन (Edit/Correction) किया जायेगा।</p> <p>अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि भविष्य में किसी भी असुविधा से बचने के लिए उक्त संशोधन/परिवर्तन का अवसर प्रदान करने के उपरान्त किसी भी दशा में अभ्यर्थी द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित किसी भी प्रविष्टि/दावे को संशोधित/परिवर्तित करने के अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।</p> <p>अतः उक्त के आलोक में अभ्यर्थियों द्वारा प्रत्यावेदन में किये गये अनुरोध को अस्वीकार करते हुए प्रत्यावेदन निस्तारित कर दिये गये है।</p>
--	---

-Sd-
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।